न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 5/2023

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 4/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1.श्री बालाजी रेस्टोरेट, एन.एच 08 राजगढ चौराहे के पास, ग्राम सराधना जिला अजमेर (मिट्ठूराम पुत्र श्री उगमा राम निवासी डांग सराधना अजमेर जिला अजमेर)

2 श्री संदर सिह पुत्र श्री श्रवण सिह निवासी ग्राम पिचौलिया जिला अजमेर पुलिस थाना मागंलियावास अजमेर

3.श्री सूरज सिंह पुत्र श्री गणपत सिह, निवासी बाडी मौहल्ला, केसरपुरा जिला अजममेर पुलिस थाना मांगलियावास

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री खिया सिह रावत अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक 18.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 02.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर जांच दल अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, व अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री बालाजी रेस्टोरेट एन.एच 08, राजगढ चौराहे के पास ग्राम सराधना पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गई। वक्त मौका रेस्टोंरेट के पास खडे पाये गए एक महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 में 08 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया । मौके पर वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 के साथ श्री संदर सिह पुत्र श्री श्रवण सिह निवासी ग्राम पिचौलिया, अजमेर का उपस्थित होना जिसके द्वारा स्वयं को वाहन चालक एवं श्री सूरज सिंह पुत्र श्री गणपत सिह निवासी बाडी मौहल्ला केसरपुरा अजमेर को वाहन का मालिक होना बताया गया । साथ ही वाहन चालक द्वारा वाहन का ड्राईविग लाईसेंस व कोई दस्तावेज नही होना बताया गया । वक्त मौका पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 में पाये गए ड्रमों की जांच करने पर 05 ड्रम लोहे के तथा 03 ड्रम प्लास्टिक के होना पाया प्रत्येक ड्रम में माप करने पर 210 लीटर प्रति ड्रम होने से कुल 08 ड्रमों में 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 08 ड्रम मय 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण की अधिवक्ता श्री खिया सिह रावत उपस्थित। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। दिनांक 02.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर जांच दल अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, व अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री बालाजी रेस्टोरेट एन.एच 08, राजगढ चौराहे के पास ग्राम सराधना पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गई। वक्त मौका रेस्टोंरेट के पास खडे पाये गए एक महिन्द्रा पिकअप गहन संख्या RJ-22-GA-6611 में 08 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया । मौके पर वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 के साथ श्री संदर सिह पुत्र श्री श्रवण सिह निवासी ग्राम पिचौलिया, अजमेर का उपस्थित होना जिसके द्वारा स्वयं को वाहन चालक एवं श्री सूरज सिंह पुत्र श्री गणपत सिह निवासी बाडी मौहल्ला केसरपुरा अजमेर को वाहन का मालिक होना बताया गया । साथ ही वाहन चालक द्वारा वाहन का ड्राईविग लाईसेंस व कोई दस्तावेज नही होना बताया गया । वक्त मौका पाये गए ड्रमों के संदर्भ में जानकारी लेने पर वाहन चालक श्री संदर सिह द्वारा बताया गया कि वाहन मालिक श्री सूरज सिंह टैकर चालको से 75–80 रूपये प्रति लीटर की दर से सेल्वेट खरीदता है तथा आगे वाहन चालको को डीजल–पेट्रोल के नाम 85–95 रूपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। वक्त मौका पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 में पाये गए ड्रमों की जांच करने पर 05 ड्रम लोहे के तथा 03 ड्रम प्लास्टिक के होना पाया प्रत्येक ड्रम में माप करने पर 210 लीटर प्रति ड्रम होने से कुल 08 ड्रमों में 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया । मौके पर ड्रमों में पाये गय पैट्रोलियम पदार्थ के संदर्भ में वाहन चालक के पास कोई बिल/वाउचर का नही होना पाया गया तथा इस हेतु वाहन मालिका को दूरभाष से सूचित करने पर भी वाहन मालिक का मौके पर उपस्थित नही होना पाया गया । वक्त मौका पाये गए पेट्रोलियम पदार्थ को देखने व सूंघने से यह प्रथम दृष्टया मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया जिसका सभी ड्रमों से थोडा–थोडा निकालकर कुल तीन सैपल (प्रत्येक सैपल एक लीटर) लिये जाकर एक कलेक्ट सैपल तैयार कर एल्यूमिनियम की तीन अलग अलग साफ बौतलो में भरा जाकर यूनिक कोड सील लगाई गई तथा एल्यूमिनियम पात्र को बुडन बॉक्स में रखकर पुनः सील लगाई जाकर चिट चस्पा की गई। वक्त जांच प्रथम दृष्टया मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध रूप से वाहन चालको को बिकी किये जाने का कार्य प्रमाणित पाये जाने पर श्री संदर सिह से मारूति पिकअप वाहन संख्या RJ-22-

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

GA-6611 एवं 08 ड्रम मय 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना, मांगलियावास को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गए । इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य नियम विरूद्व मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण एवं अवैध रूप से वाहन चालको को विकय किया जाना मोटर स्प्रिट और उच्च चेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारा) आदेश 2005 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में जब्तशुदा 08 ड्रम मय 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे । जवाब में अप्रार्थी 1 ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी का बालाजी रेस्टोरेन्ट अजमेर से कोई लेना देना नही है। प्रार्थी ने तो मालिक है ना ही रेस्टोरेन्ट का केयर टेकर है। अतः अप्रार्थी 1 का नाम डिलीट फरमावे । अप्रार्थी 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पार्थी की उक्त पिकअप खराब हो गयी थी, इस कारण मौके पर खडी थी । प्रार्थी 8–9 गाडिया है, जिनके लिए डीजल की आवश्यकता पडती है। प्रार्थी पैट्रोल पम्प से डीजल खरीद कर लाया था जिसकका मूल बिल प्राथ्र्थी के पास था तथा प्रार्थी ने मौके पर ही रसद अधिकारी को बिल पेश किये थे परन्तु रसद अधिकारी ने उक्त बिलो को अनदेखा कर उक्त पिकअप को झूठा लिप्त किया गया । अतः इस्तगासा खारिज फरमावे । साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 ने वाहन को सुपुदर्गीनामा पर रिलिज हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । तथा निवेदन किया गया कि वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त RJ-22-GA-6611 को सुपुर्द पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य,सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। दिनांक 02.01.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर मय जांच दल श्री बालाजी रेस्टोरेट एन.एच 08, राजगढ चौराहे के पास ग्राम सराधना पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर मौके पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गई। वरवक्त मौका रेस्टोरेट के पास खडे पाये गए एक महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 में 08 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया । वक्त मौका पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 में पाये गए ड्रमों की जांच करने पर 05 ड्रम लोहे के तथा 03 ड्रम प्लास्टिक के होना पाया प्रत्येक ड्रम में माप करने पर 210 लीटर प्रति ड्रम होने से कुल 08 ड्रमों में 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया । मौके पर ड्रमों में पाये गय पैट्रोलियम पदार्थ के संदर्भ में वाहन

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

चालक के पास कोई बिल/वाउचर का नही होना पाया गया । वरवक्त जांच प्रथम दृष्टया मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध रूप से वाहन चालको को बिक्री किये जाने का कार्य प्रमाणित पाये जाने पर श्री संदर सिह से मारुति पिकअप वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 एवं 08 ड्रम मय 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी, पुलिस थाना, मांगलियावास को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गए । इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य नियम विरूद्व मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण एवं अवैध रूप से वाहन चालको को विक्रय किया जाना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियम और अनाचार निवारा) आदेश 2005 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये 08 ड्रम मे 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। अप्रार्थीगण ने वाहन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन संख्या RJ-22-GA-6611 से 1680 लीटर पेट्रोलिययम पदार्थ सहित जब्त किया गया है। उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी, अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वाहन चालक/स्वामी ने उक्त वाहन को सुपुर्दगीनाामा पर रिलिज करने का निवेदन किया है। जब्त शुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्त शुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन को प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि वाहन को 1680 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के साथ जब्त किया गया है पेट्रोलियम पदार्थ की अनुमानित दर लगभग लिहाजा 100/– रूपये प्रति लीटर से है, लिहाजा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री की कुल कीमत अनुसार उक्त RJ-22-GA-6611 पर रूपये 1,68,000/– (अक्षरे एक लाख अरसठ हजार रूपये मात्र)की शास्ति आरोपित की जाती है। लिहाजा जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित आयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें ओर निस्तारण से प्राप्त राशि राज कोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त वाहन RJ-22-GA-6611 अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी इसी आदेश में किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.04.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर